कार्यालयः गोरखपुर विकास प्राधिकरण,गोरखपुर।

संख्या 1071 / गो0वि0प्रा0 / 2017–18 दिनांक 29 / 5 / 2017

डिमाण्ड / शर्तें

सेवा में,

आर्किडग्रीन इन्फ्रासिटी प्रा0लि0,
जरिए डाक्टर संजय मनी त्रिपाठी,
पुत्र स्व0 बी0एन0एम0 त्रिपाठी,
मुहल्ला–मोहद्दीपुर, गोरखपुर।

महोदय,

कृपया आप द्वारा पूर्णता प्रमाण हेतु प्रस्तुत शमन विषयक प्रार्थना–पत्र दिनांक 04.03.2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पूर्व स्वीकृत मानचित्र स0–1698 / 2013 जोकि मोहल्ला मोहद्दीपुर के आराजी सं0–396 मि0, 397, 398 एवं 399 / 3 पर स्वीकृत है। आप द्वारा प्रस्तुत शमन मानचित्र तकनीकी रूप से ठीक पाये जाने तथा पूर्णता प्रमाण–पत्र के सम्बन्ध में निम्न शर्तो का पालन 3 माह के अन्दर पूर्ण करने के उपरान्त पूर्णता प्रमाण–पत्र निर्गत किये जाने की कार्यवाही की जायेगी, के साथ उपाध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 25.04.2017 को तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी है।

शर्तें–

1– अग्निशमन सुरक्षा:– प्रस्तुत मानचित्र मे भवन की ऊँचाई 37.00 मीटर दर्शायी गयी है। इस सम्बन्ध में भवन के पूर्णता हेतु कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी के पत्रांक–सी–24 / एफ.एस.–2013 दिनांक 20–12–2013 के द्वारा प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है परन्तु भवन के कम्पलीशन हेतु अग्नि सुरक्षा प्रमाण–पत्र पक्ष द्वारा देना होगा। इस आशय का शपथ पत्र भी पक्ष द्वारा दिया जाना होगा।

2– पर्यावरणीय अनापत्ति:– इस सम्बन्ध में उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गोमतीनगर लखनऊ के पत्रांक–एफ.–73586 / सी.–6 / एन.ओ.सी. / 220 / 2016 / गोरखपुर दिनांक 10–02–2016 के द्वारा पर्यावरणीय अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है। पर्यावरणीय सुरक्षा एवं संरक्षा के सम्बन्ध मे भारत सरकार द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं0–2910 दिनाक 09 दिसम्बर, 2016 एवं अन्य लागू प्राविधानों, नियमों एवं शासनादेशों का पालन किया जाना होगा। अवगत कराना है कि उक्त अधिसूचना के पृष्ठ सं0–16 पर उल्लिखित Category-1 (5,000 sqmt. To less than 20,000 sqmt.) के क्षेत्रफल पर लागू प्राविधानों के सम्बन्ध में बिल्डर्स द्वारा स्थल पर कार्यों के सम्बन्ध में प्रपत्र (Self declaration) एवं ड्राइंग तथा डिजाइन प्रस्तुत किये गये हैं:–

1) Topography & Natural Drainage :-
2)Water Conservation, Rain water Harvesting and Ground water recharge (Self declaration Attached)
3) Waste management (Self declaration) Solid & sewage (S.T.P.)
4) Air quality & Noise
5) Energy
6) Green Cover

इस सम्बन्ध में नियमों एवं शर्तों का पूर्ण अनुपालन बिल्डर्स द्वारा किया जायेगा। उक्त का अनुपालन न किये जाने की दशा मे पूर्णता प्रमाण–पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा तथा उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिये गये निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करना होगा, अन्यथा की स्थिति मे बिल्डर्स स्वयं जिम्मेदार होंगे।

Scanned by CamScanner

3- [illegible] [illegible] [illegible] - [illegible] [illegible] के [illegible] जा रहे कार्यों की ड्राइंग उपलब्ध करायी गयी है जिसका [illegible] [illegible] को प्रस्तुत किया जाना होगा।

4- पार्किंग - [illegible] पार्किंग का प्राविधान करना आवश्यक होगा।

5- [illegible] [illegible] - लिफ्ट अधिष्ठापन का कार्य पूर्ण करवाकर प्रमाण पत्र दिया जाना होगा

6- विद्युत आपूर्ति - विद्युत आपूर्ति हेतु आवश्यक ट्रांसफार्मर आदि का इंस्टालेशन [illegible] प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाना होगा।

7- **शुल्कों की गणना निम्नवत् है-**

प्रभाव शुल्क- Rs.28,16,822.00

निरीक्षण शुल्क- Rs.2114.00

मलबा शुल्क- Rs.884 11.00

[illegible] फीस- Rs.15,78,784.00

[illegible] शुल्क- Rs.15568.00

[illegible] शुल्क- Rs.0.00

कुल देय शुल्क =Rs.45,00,784.00

अतः कुल देय शुल्क =Rs.45,00,784.00 (पैंतालिस लाख सात सौ चौरासी रुपये) मात्र प्राधिकरण कोष में जमा [illegible] इस पत्र के प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर [illegible] जमा करा दें, जिससे [illegible] मानचित्र के निस्तारण की कार्यवाही की जा सके।

सहायक अभियन्ता,
गोरखपुर विकास प्राधिकरण,
गोरखपुर।

Scanned by CamScanner

गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर

(भवन अनुभाग)

पत्रांक [illegible]
सेवा में,

सेक्टर [illegible]

दिनांक [illegible]

श्री/श्रीमती/मेसर्स [illegible]

आपके पत्र दिनांक .... मानचित्र सं० 1690/13 के संबंध में आपके प्रस्तावित [illegible] भवन निर्माण की योजना/कालोनी [illegible] भूखण्ड/भवन सं० 356135 पर निम्नलिखित शर्तों के साथ अनुमति प्रदान की जाती है। स्वीकृत मानचित्र संलग्न है।

1. यह मानचित्र अनुमति दिनांक से केवल 5 वर्ष तक वैध है।
2. मानचित्र की इस स्वीकृति से किसी भी सरकारी विभाग, स्थानीय निकाय अथवा किसी व्यक्ति के स्वत्व एवं स्वामित्व पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा।
3. जिस प्रयोजन के लिए निर्माण की अनुमति दी जा रही है, भवन उसी प्रयोग में लाया जायेगा। विपरीत प्रयोग उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 26 के अधीन दण्डनीय है।
4. उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 35 के अन्तर्गत यदि भविष्य में सुधार कार्य हेतु कोई सुधार व्यय मांगा जायेगा तो बिना किसी आपत्ति के देय होगा।
5. जो क्षेत्र भूमि विकास कार्यों से उपयुक्त नहीं होगी वहां प्राधिकरण अथवा किसी स्थानीय निकाय का विकास कार्य करने की जिम्मेदारी नहीं होगी।
6. स्वीकृत मानचित्र का एक सेट निर्माण स्थल पर ही रखना होगा ताकि मौके पर कभी भी जाँच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही कराया जायेगा।
7. आप भवन निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व प्राधिकरण को कार्य आरम्भ करने की सूचना देंगे।
8. निर्माण की अवधि में यदि स्वीकृत मानचित्र के विरुद्ध यदि कोई परिवर्तन आवश्यक है तो उसकी पूर्व अनुमति प्राप्त करने के बाद ही परिवर्तन किया जायेगा।
9. पर्यावरण की दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्य वन नीति अधिनियम के अन्तर्गत कम से कम [illegible] पेड़ लगाना अनिवार्य है। स्वीकृत चित्र इसके साथ संलग्न है। भवन समाप्त होने के एक माह के अन्दर संलग्न रूप में कार्य पूरा होने के प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र दें तथा बिना [illegible] प्रमाण [illegible] भवन को प्रयोग में न लायें।
10. प्राधिकरण से अध्यासन (आकुपेन्सी) प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही भवन को अध्यासित (आकुपाइड) करेंगे। इनमें किसी भी शर्त का उल्लंघन उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 26 के अधीन दण्डनीय अपराध होगा।
11. दरवाजे व खिड़कियाँ इस तरह से लगायी जायेंगी कि जब वह खुले तो उसके पल्ले किसी सरकारी सड़क की ओर बढ़ाव (प्रोजेक्ट) न हों।
12. बिजली की लाइन से 6 फुट के अन्दर कोई निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा।
13. सड़क, सर्विसलेन अथवा सरकारी भूमि पर कोई निर्माण सामग्री (बिल्डिंग मैटेरियल) न रखी जायेगी तथा गन्दे पानी का निकासी पूर्ण प्रबन्ध स्वयं करना होगा।
14. यह मानचित्र उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं अधिनियम 1973 की धारा 15 के अन्तर्गत किसी अन्य शर्त (कन्डीशन) के साथ स्वीकृत किये जाते हैं तो वह शर्तें भी मान्य होंगी।
15. सड़क पर अथवा सैटबैक में कोई रैम्प अथवा स्टेप्स नहीं बनाये जायेंगे। यह कार्य अपनी ही भूमि पर करें।
16. [illegible] एवं स्पेसिफिकेशन की नियम/शर्तों का पालन करना होगा।
17. आप द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र 29.5.13 का पालन करना होगा।

सचिव
गोरखपुर विकास प्राधिकरण
गोरखपुर

संलग्न : स्वीकृत मानचित्र की एक प्रति।

Scanned by CamScanner

चालान संख्या 24842 ...... आ.अ संख्या

गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर

मानचित्र संख्या 1618/13 ...... दिनांक

नाम ...... आर्कि[illegible] [illegible] इन्फ्रा[illegible] [illegible]

मोहल्ला ...... [illegible]

निर्माण ग्रुप हाउसिंग / आवासीय / व्यवसायिक शैक्षिक / धार्मिक अन्य

जमा शुल्क का विवरण

विवरण	धनराशि
	रुपया
मानचित्र शुल्क	[illegible]
[illegible] शुल्क	[illegible]
[illegible]	—
उप विभाजन शुल्क	—
शमन शुल्क	[illegible]
अभार शुल्क	—
पर्यवेक्षण / निरीक्षण शुल्क	—
[illegible]	—
[illegible]	—
[illegible] शुल्क	[illegible]
अर्थापत्ति शुल्क [illegible] भू-प्रयोग शुल्क	—
ठेकेदार पंजीकरण नवीनीकरण शुल्क [illegible]	—
[illegible] इंजीनियर [illegible] शुल्क	—
[illegible] बिक्री शुल्क	—
अन्य [illegible]	—

जमा राशि (शब्दों में) पैंतालिस लाख [illegible] हजार [illegible] चौरासी रुपये

नकद / बैंक ड्राफ्ट संख्या RTGS

[illegible]

बैंक का नाम ......

जमा करने की तिथि 29-05-17

जमाकर्ता के हस्ताक्षर [illegible]

केवल बैंक के प्रयोगार्थ

धनराशि प्राप्त करके प्राधिकरण के खाते में जमा की गई

RTGS 29/05/17

हस्ताक्षर बैंक अधिकारी

दिनांक

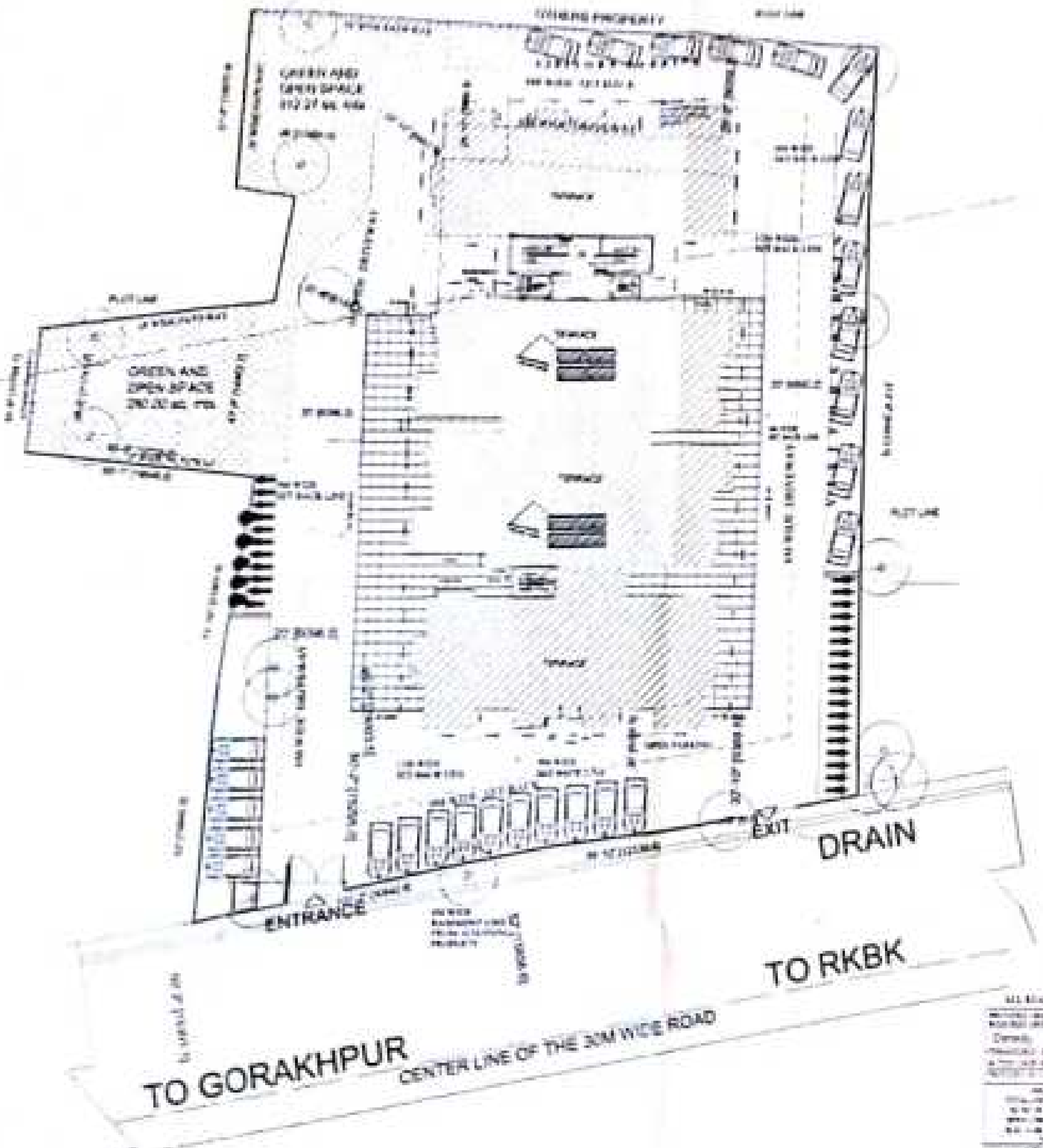

SITE PLAN

KEY PLAN

ALL READY SANCTIONED AREA

AREA DETAIL	PLOT
BUILDING BLOCK	PLOT
[illegible]	[illegible]

SHEET NO-01

AREA DETAIL	PLOT
BUILDING BLOCK	PLOT
[illegible]	[illegible]

SHEET NO-01

ACCORD ARCHITECTURAL SERVICES PVT. LTD.

Scanned by CamScanner

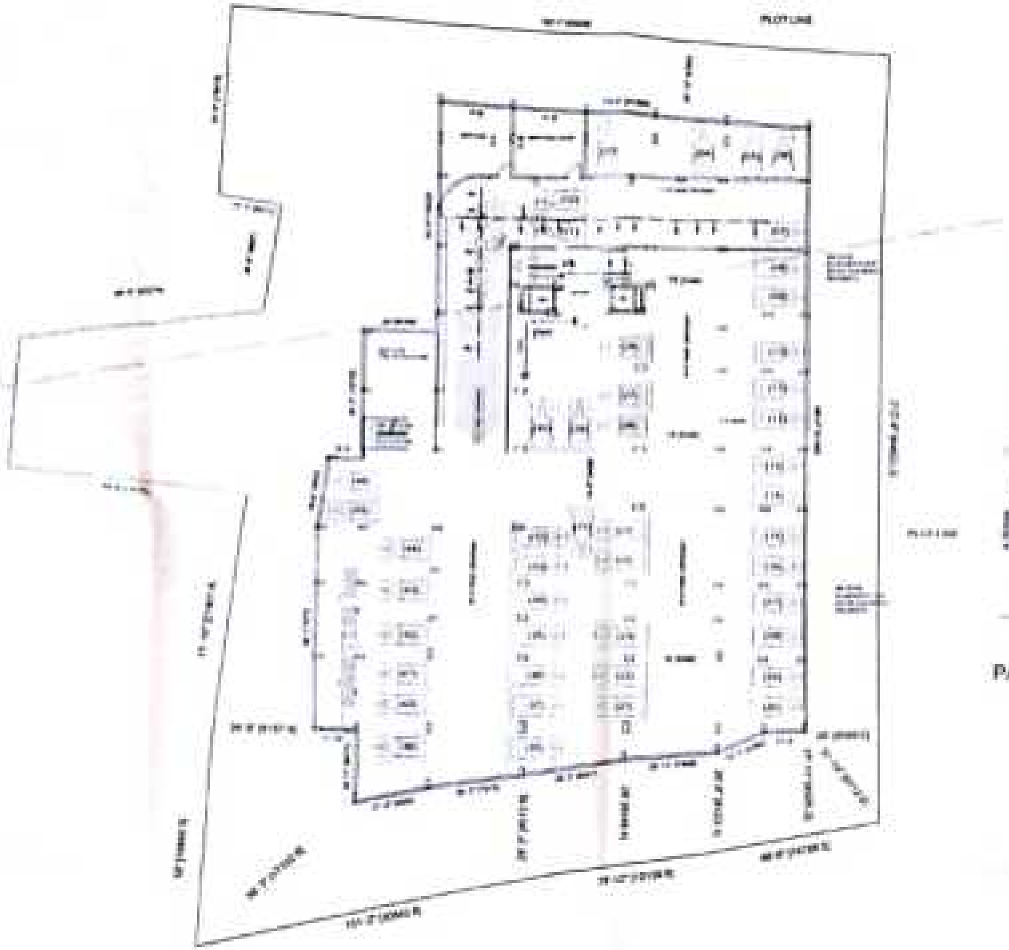

BASEMENT-1
(MECHANISED CAR PARKING)

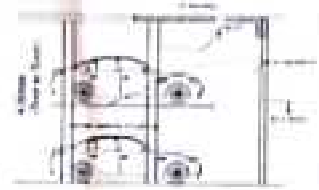

MECHANISED
PARKING SECTION DETAIL

PROJECT TITLE

DOOR WINDOW SCHEDULE

SIG. OF OWNERS

SHEET
NO.
02

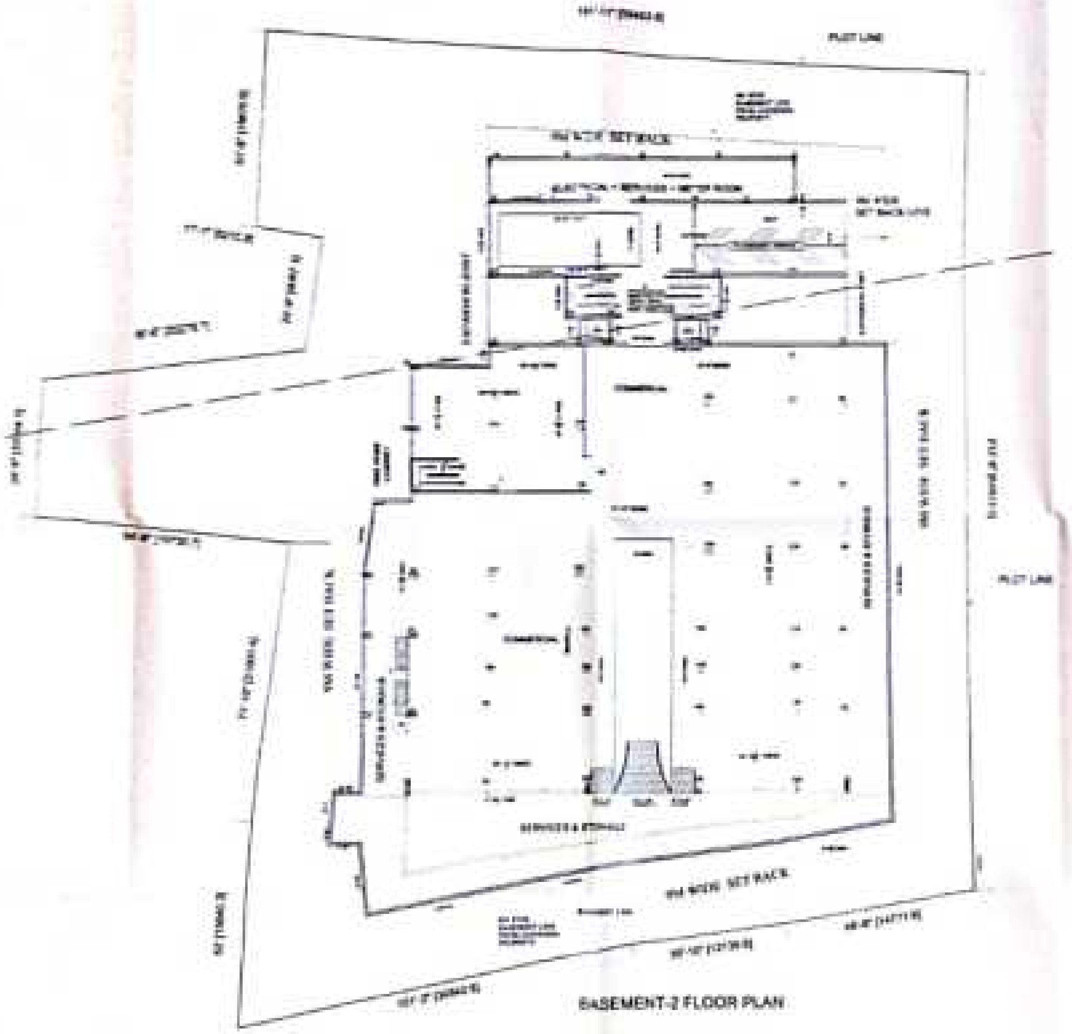

BASEMENT-2 FLOOR PLAN

BASEMENT-2

PROJECT TITLE
EXISTING COMMERCIAL AND
GROUP HOUSING "ORCHID GREEN" AT
HOUSE NO. [illegible]
ARAZI NO. [illegible]
MAUJA : [illegible] TAPPA & PARGANA HAVELI
TAHSIL SADAR, DISTRICT- GORAKHPUR

CLIENT NAME
ORCHID GREEN INFRACITY PRIVATE LIMITED
[illegible] GORAKHPUR
DIRECTOR
[illegible]

DOOR WINDOW SCHEDULE

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

SIG: OF OWNERS

SHEET
NO.
03

ACORE ARCHITECTURAL SERVICES PVT. LTD
[illegible]
TEL: [illegible]

Scanned by CamScanner

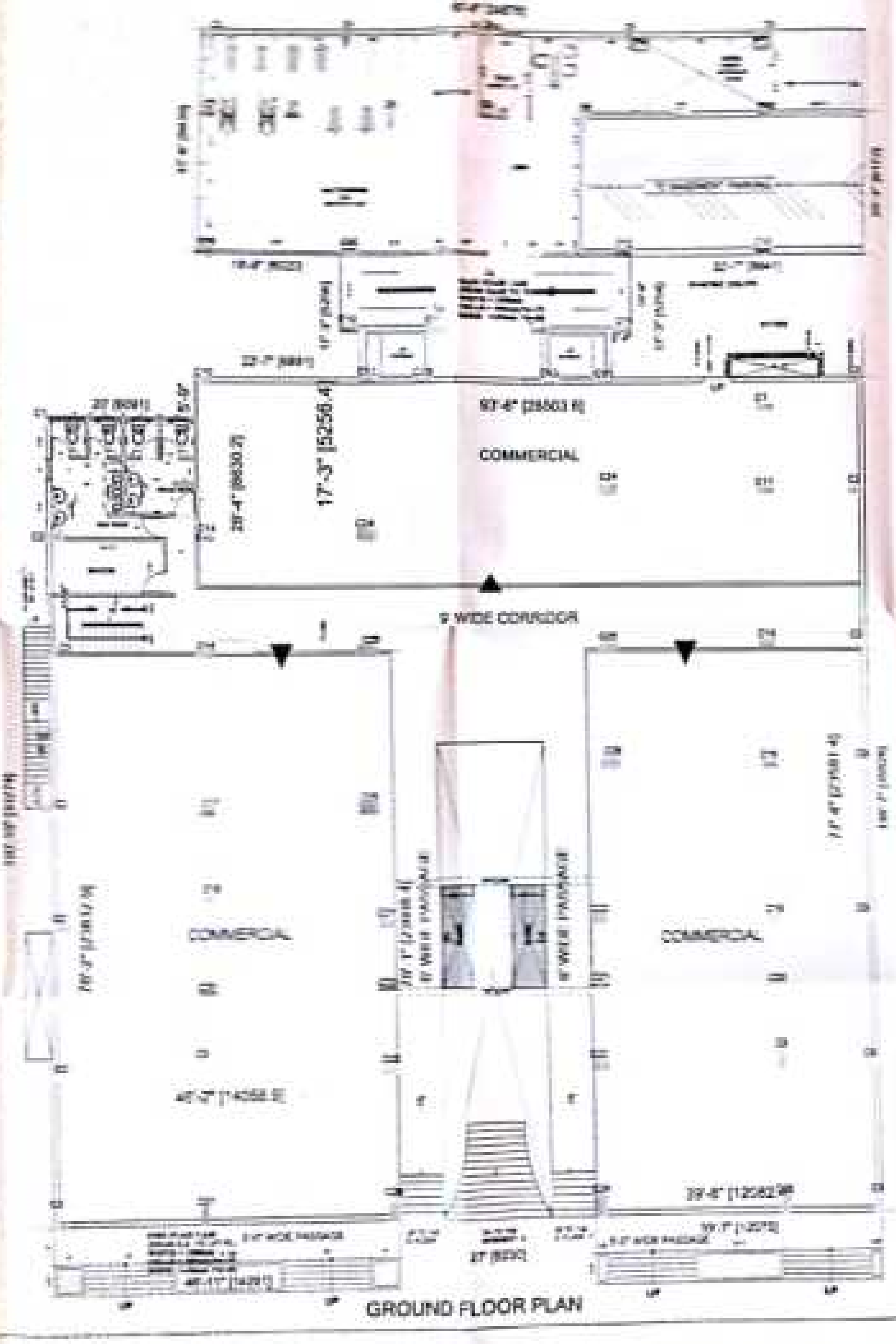

DOOR WINDOW SCEDULE :

DOOR (D1)	[illegible]	[illegible]	[illegible]
DOOR (D1)	[illegible]	[illegible]	[illegible]
DOOR (D2)	[illegible]	[illegible]	[illegible]
DOOR (D3)	[illegible]	[illegible]	[illegible]
WINDOW (W1)	[illegible]	[illegible]	[illegible]
WINDOW (W2)	[illegible]	[illegible]	[illegible]

SIG. OF OWNERS

SHEET
NO.
04

ADORE ARCHITECTURAL SERVICES

Scanned by CamScanner

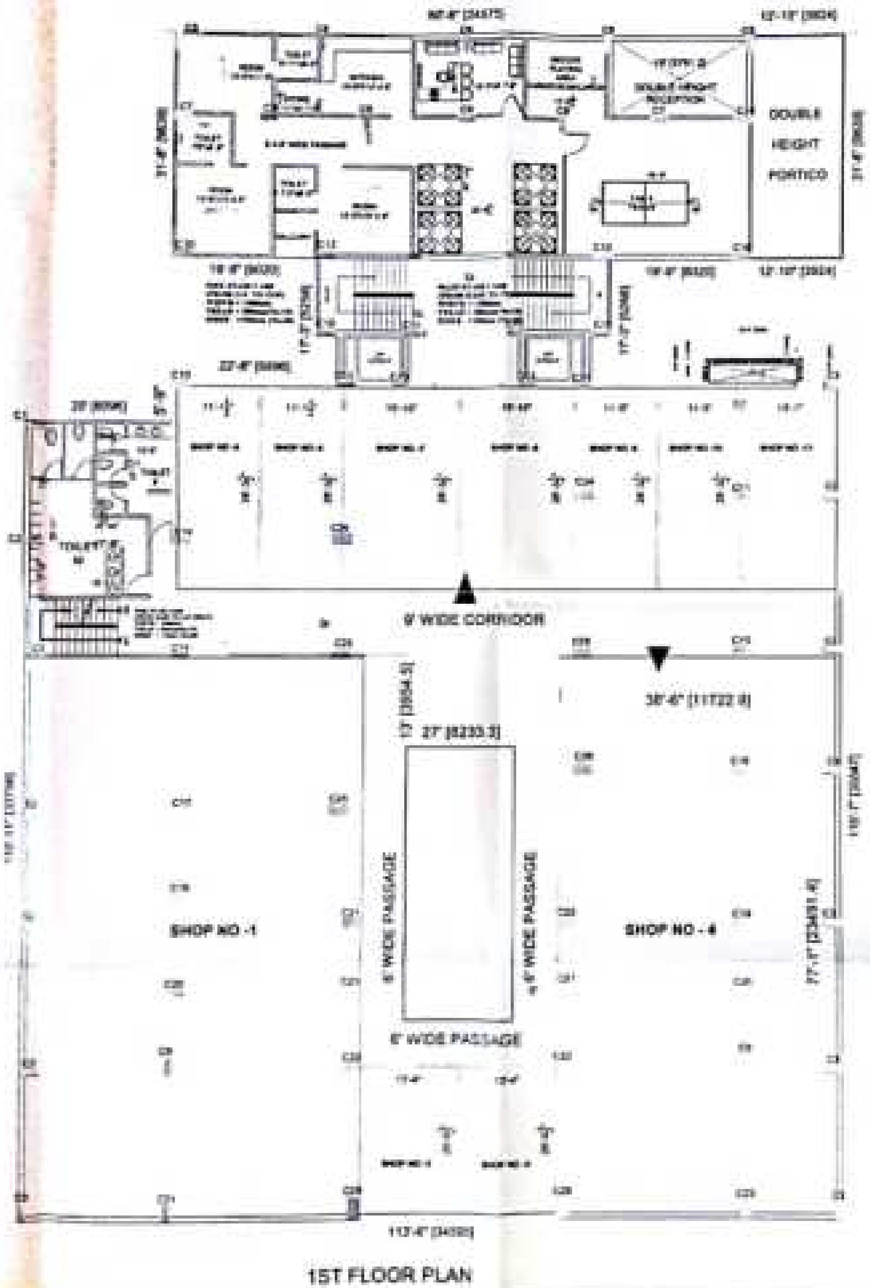

1ST FLOOR PLAN

EXISTING COMMERCIAL AND GROUP HOUSING "ORCHID GREEN" AT

CLIENT NAME
ORCHID GREEN INFRACITY PRIVATE LIMITED
GOEL HATA, DHARAMSHALA BAJAR, GORAKHPUR

DIRECTOR
Mr. SANJAY MANI TRIPATHI S/O LATE B.N.M. TRIPATHI

DOOR WINDOW SCEDULE :

[illegible]	SIZE	[illegible]	LINTEL
DOOR (D1)	[illegible]	[illegible]	[illegible]
DOOR (D2)	[illegible]	[illegible]	[illegible]
DOOR (D3)	[illegible]	[illegible]	[illegible]
WINDOW (W1)	[illegible]	[illegible]	[illegible]
WINDOW (W2)	[illegible]	[illegible]	[illegible]

SIG: OF OWNERS

SHEET
NO.
05

ACCORE ARCHITECTURAL SERVICES PVT. LTD

Scanned by CamScanner

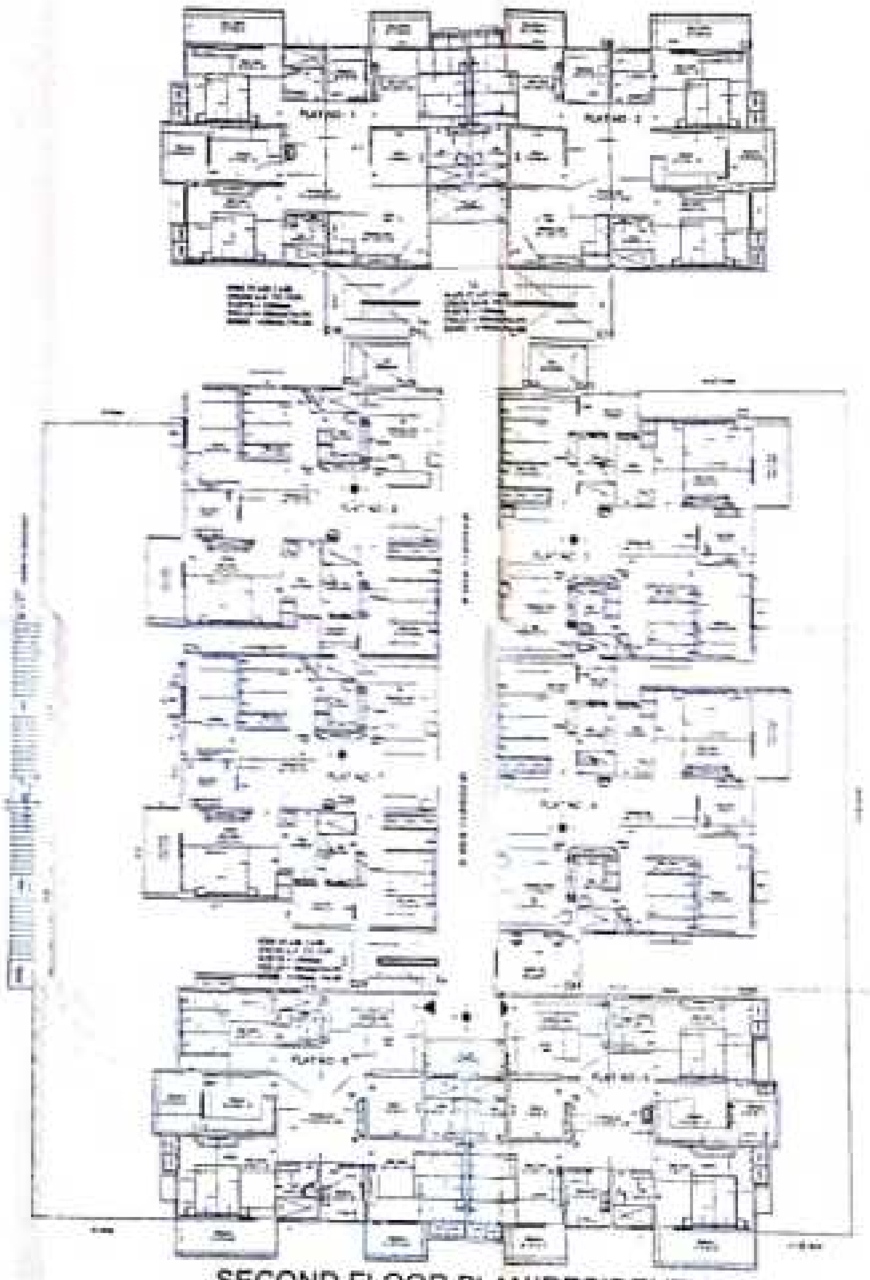

SECOND FLOOR PLAN(RESIDENTIAL)

DOOR WINDOW SCEDULE

SIG. OF OWNERS

SHEET
NO.
06

Scanned by CamScanner

3RD TO 7TH FLOOR PLAN(BASIC FAR + EWS & LIG)

SEAL OF G.D.A

DOOR WINDOW SCEDULE :

DOOR	SIZE	SILL	LINTEL
DOOR (DM)	[illegible]	[illegible]	[illegible]
DOOR (D1)	[illegible]	[illegible]	[illegible]
DOOR (D2)	[illegible]	[illegible]	[illegible]
DOOR (D3)	[illegible]	[illegible]	[illegible]
WINDOW (W)	[illegible]	[illegible]	[illegible]
WINDOW (W1)	[illegible]	[illegible]	[illegible]

SIG. OF OWNERS

SHEET NO. 07

Scanned by CamScanner

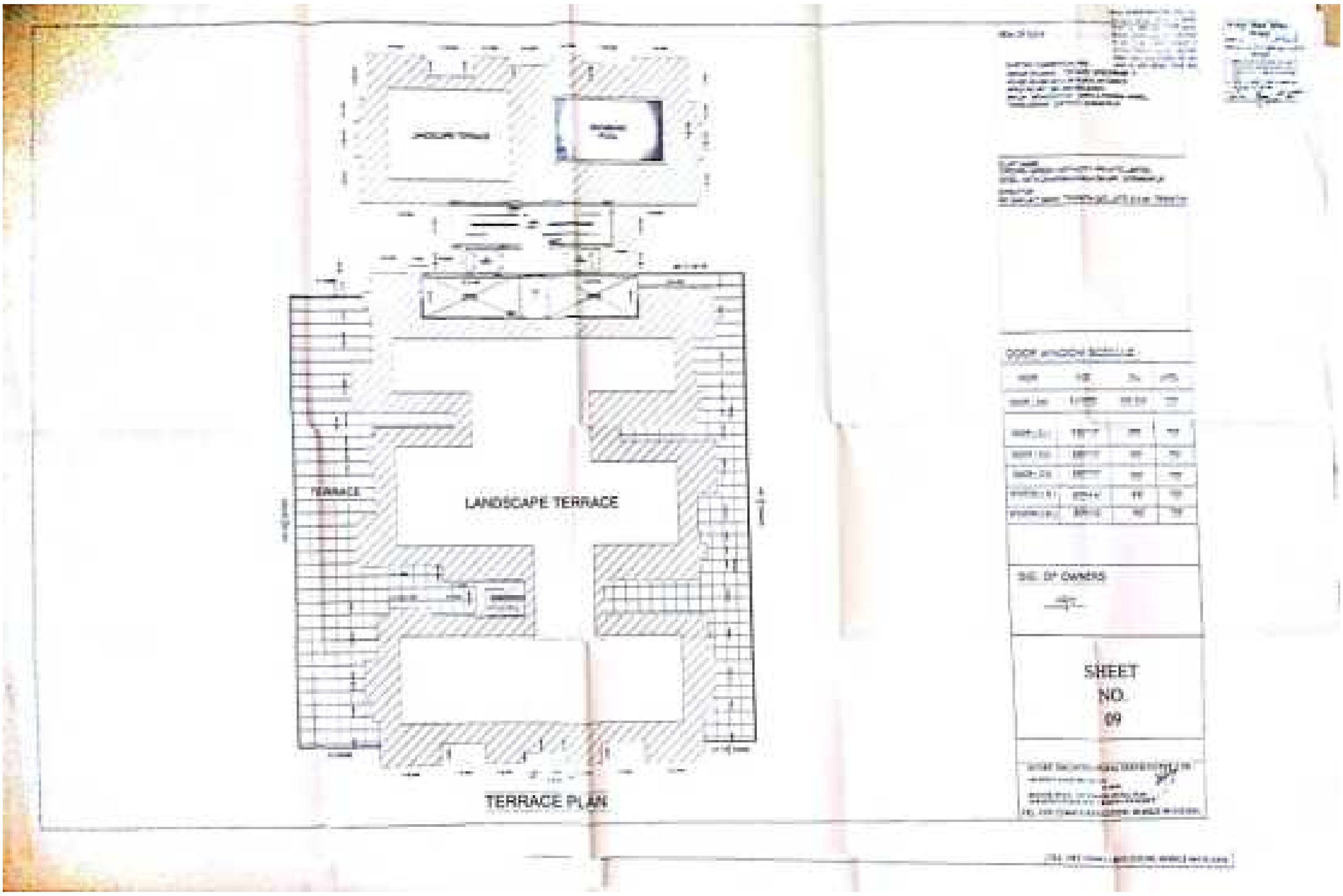

Scanned by CamScanner

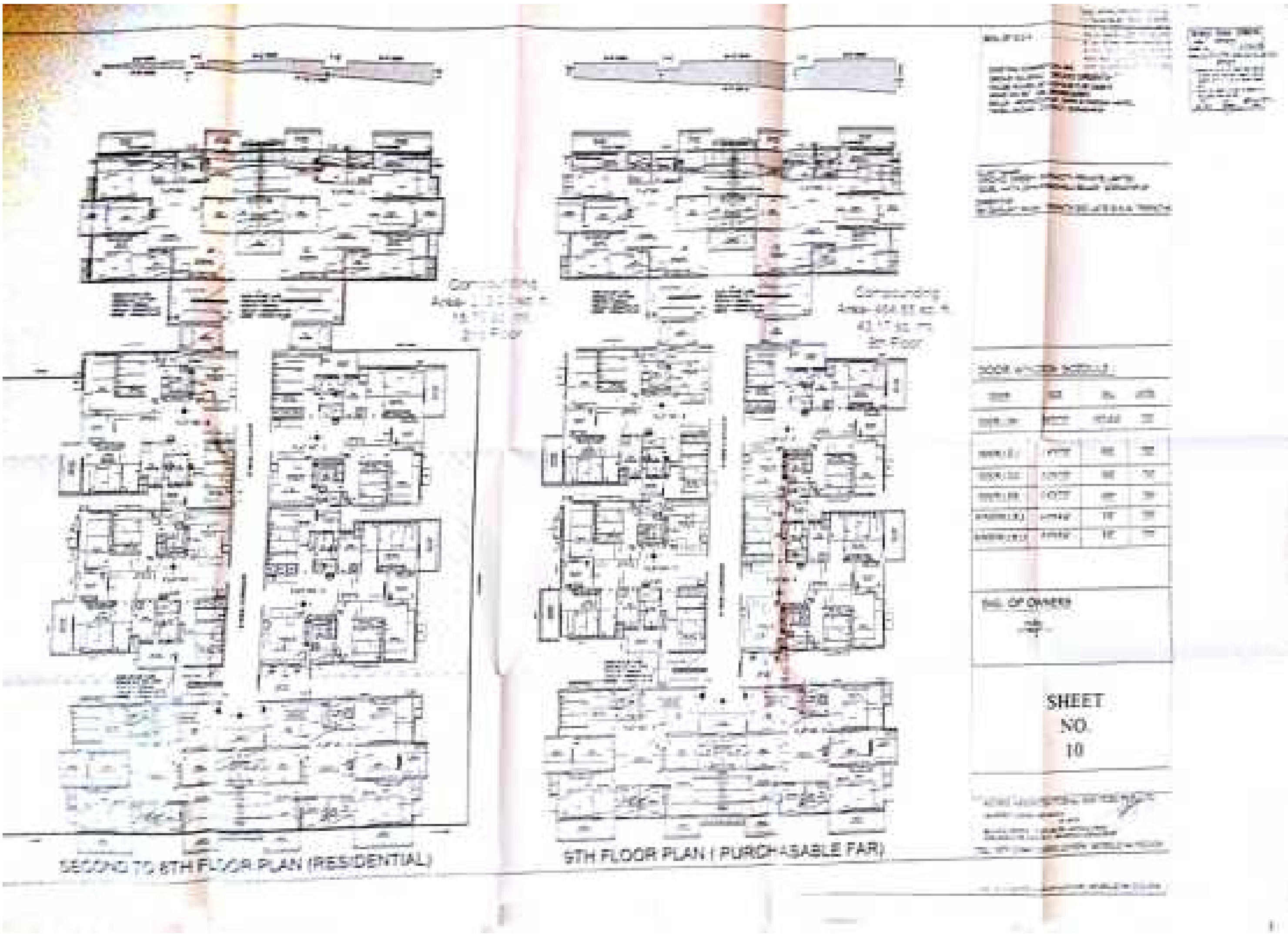

Scanned by CamScanner

10TH FLOOR PLAN (RESIDENTIAL)

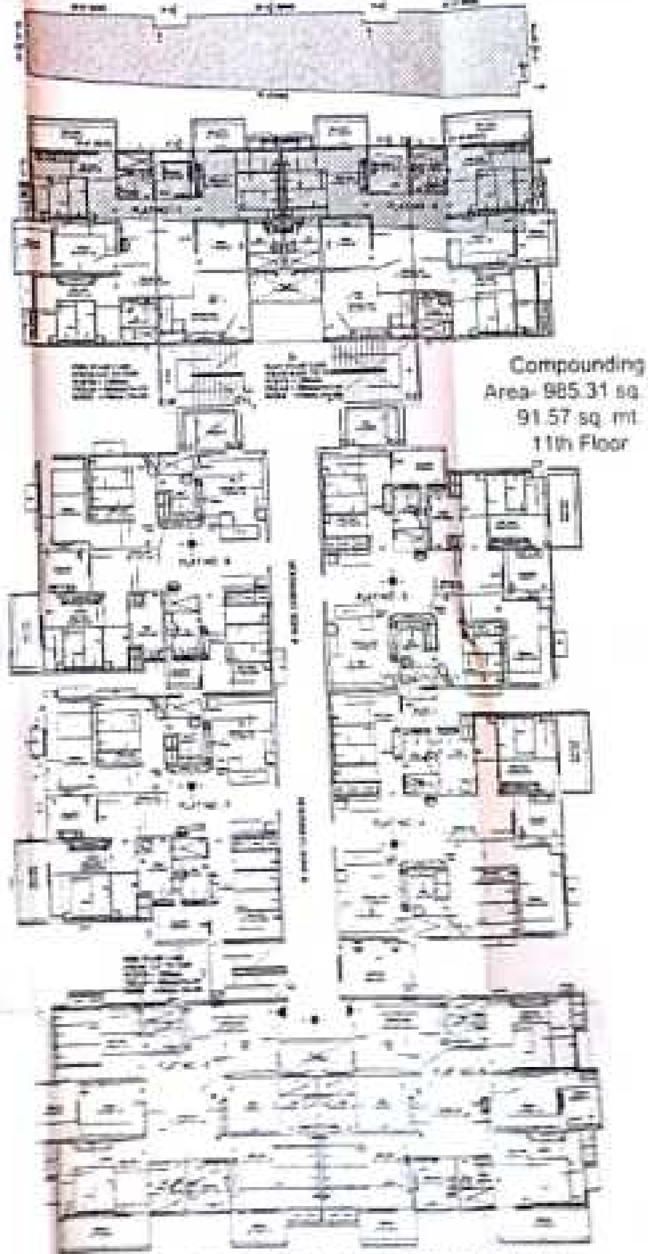

11TH FLOOR PLAN (RESIDENTIAL)

SEAL OF G.D.A

CLIENT NAME

DIRECTOR

COMPOUNDING AREA

BUILDING BLOCK	SQ FT	SQ MT
SECOND FLOOR AREA	211.62	19.66
THIRD FLOOR AREA	211.62	19.66
FOURTH FLOOR AREA	211.62	19.66
FIFTH FLOOR AREA	211.62	19.66
SIXTH FLOOR AREA	211.62	19.66
SEVENTH FLOOR AREA	211.62	19.66
EIGHTH FLOOR AREA	211.62	19.66
NINTH FLOOR AREA	[illegible]	[illegible]
TENTH FLOOR AREA	[illegible]	[illegible]
ELEVENTH FLOOR AREA	[illegible]	[illegible]
TOTAL COMPOUNDING AREA	[illegible]	[illegible]

SIG. OF OWNERS

SHEET
NO.
11

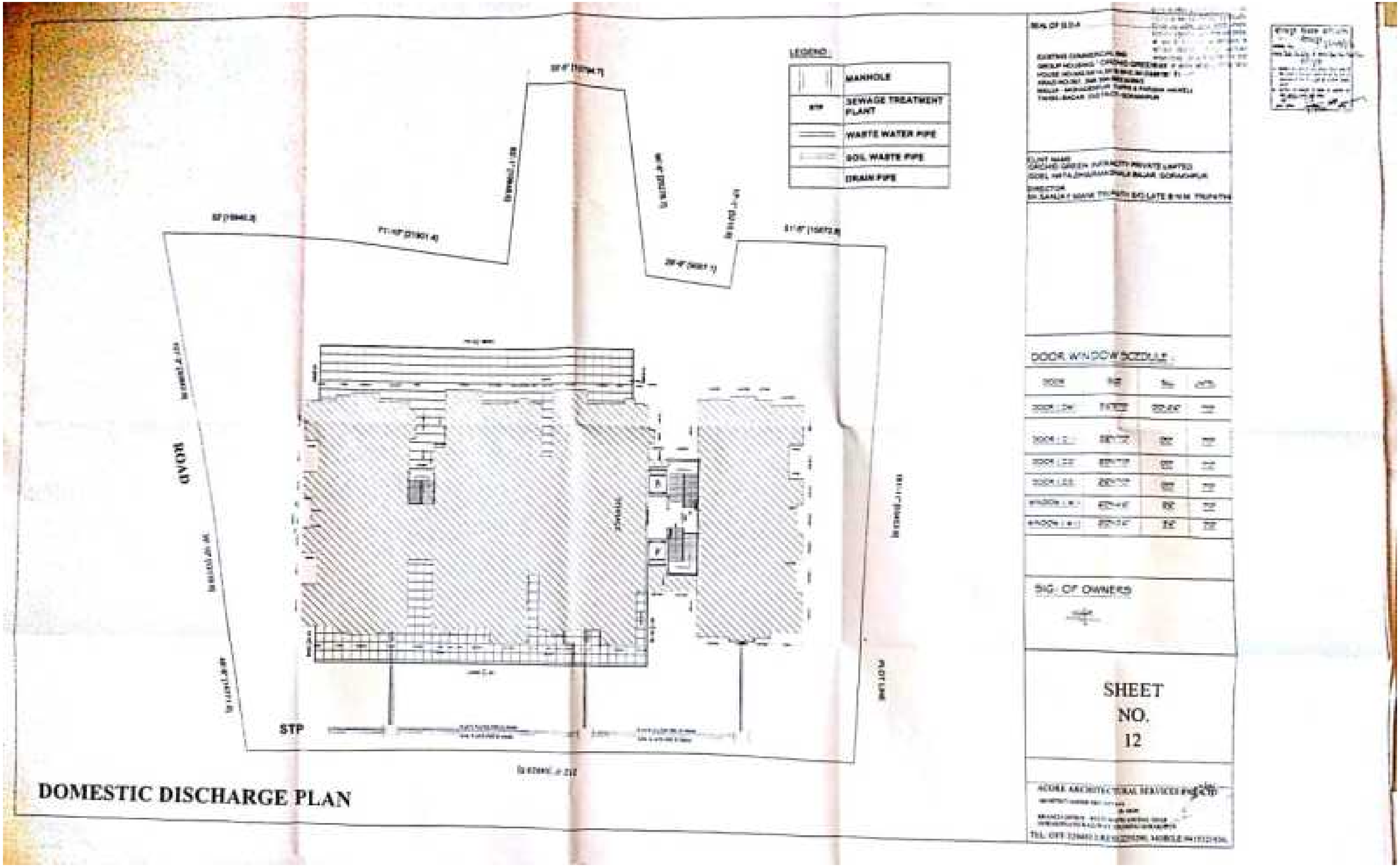

Scanned by CamScanner

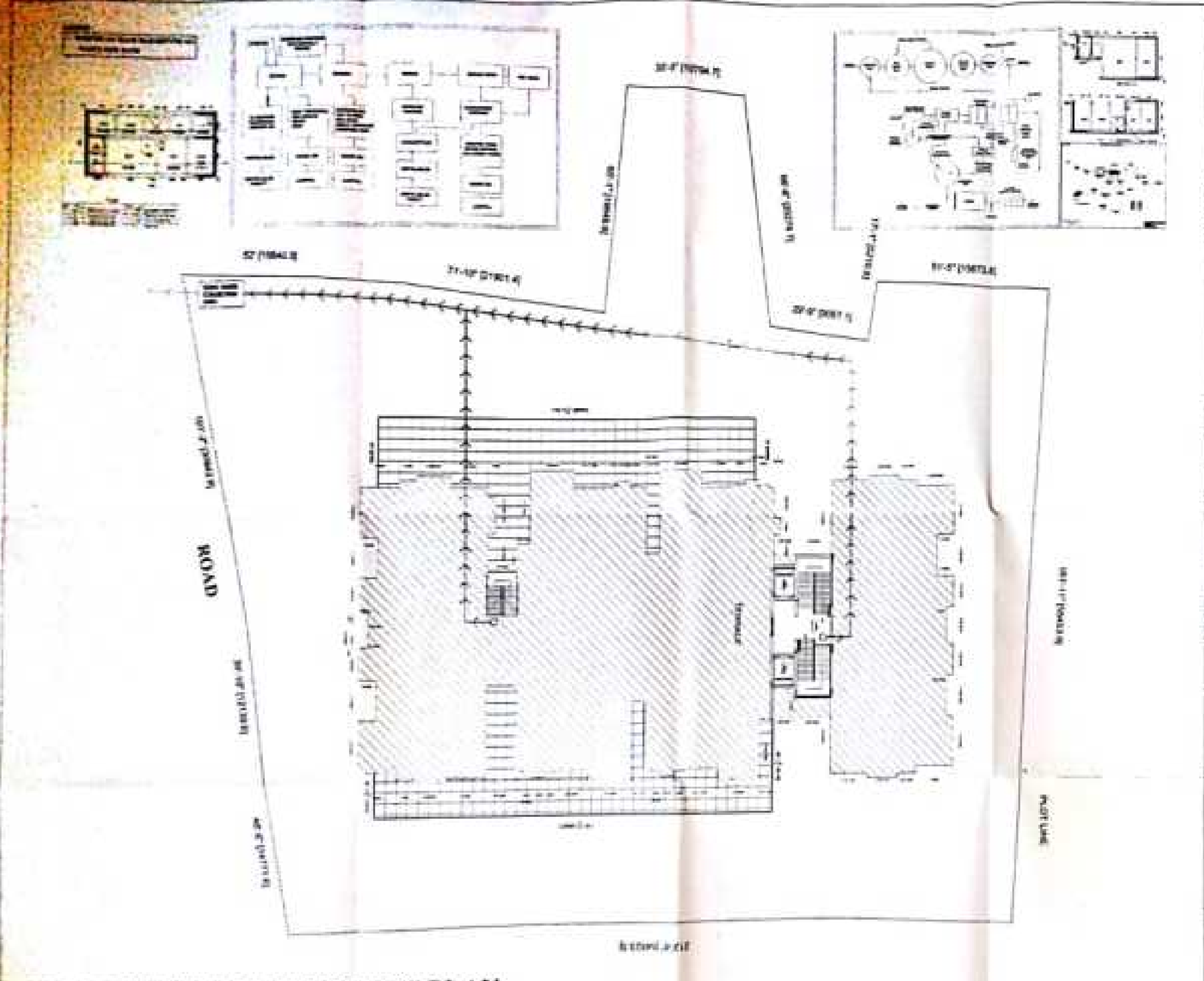

SOLID WASTE MANAGEMENT PLAN

SEAL OF G.D.A.

CLIENT NAME

DIRECTOR

DOOR WINDOW SCEDULE :

SIG. OF OWNERS

SHEET NO. 13

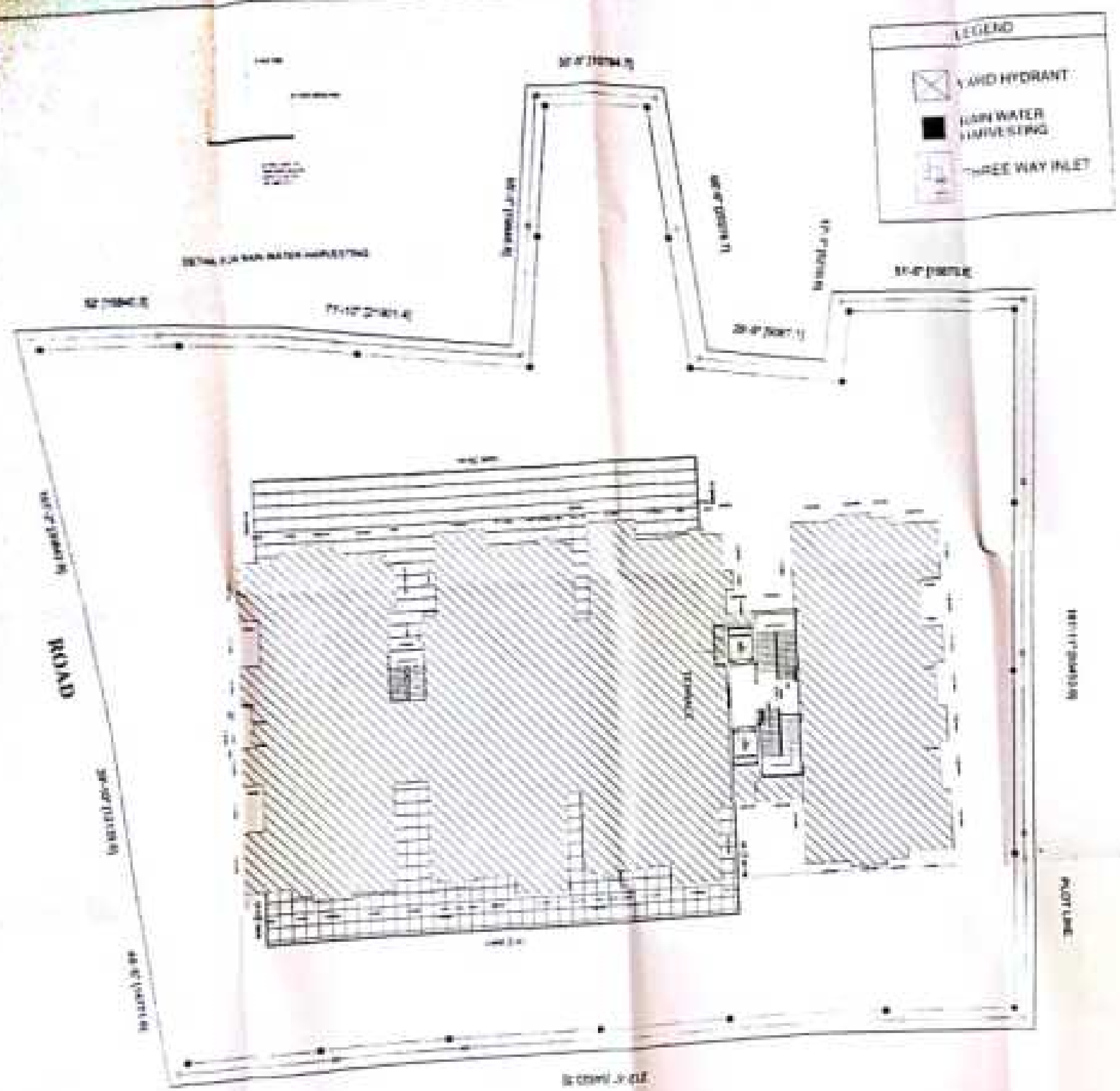

FIRE FIGHTING PLAN

DOOR WINDOW SCEDULE

SIG. OF OWNERS

SHEET NO. 14

LANDSCAPE PLAN

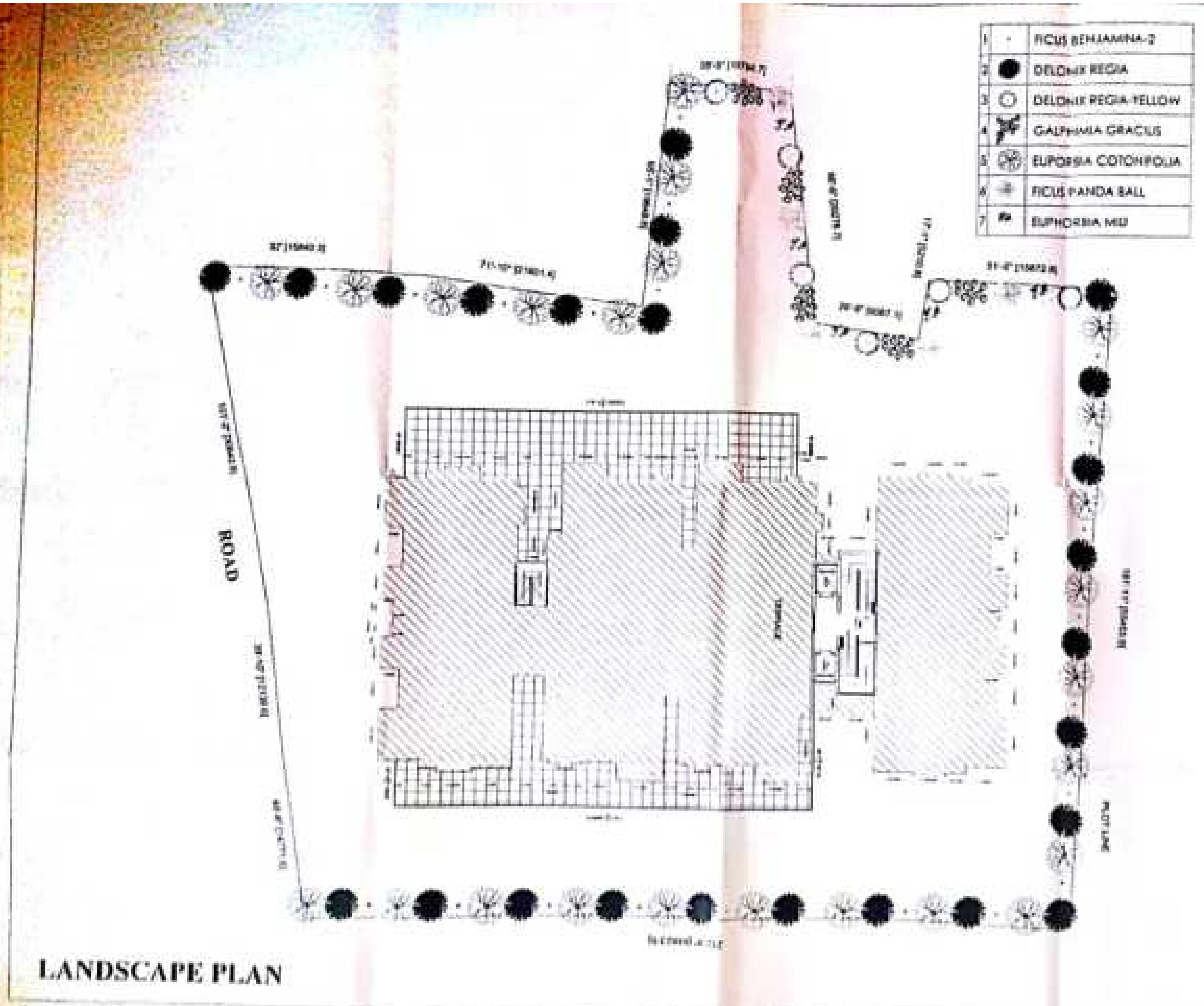

1	•	FICUS BENJAMINA-2
2	●	DELONIX REGIA
3	○	DELONIX REGIA-YELLOW
4		GALPHIMIA GRACILIS
5		EUPORBIA COTONIFOLIA
6		FICUS PANDA BALL
7		EUPHORBIA MILI

SEAL OF G.D.A

CLIENT NAME

DIRECTOR

DOOR WINDOW SCEDULE :

DOOR	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
DOOR (D1)	[illegible]	[illegible]	[illegible]
DOOR (D2)	[illegible]	[illegible]	[illegible]
DOOR (D3)	[illegible]	[illegible]	[illegible]
WINDOW (W1)	[illegible]	[illegible]	[illegible]
WINDOW (W2)	[illegible]	[illegible]	[illegible]

SIG. OF OWNERS

SHEET NO. 16

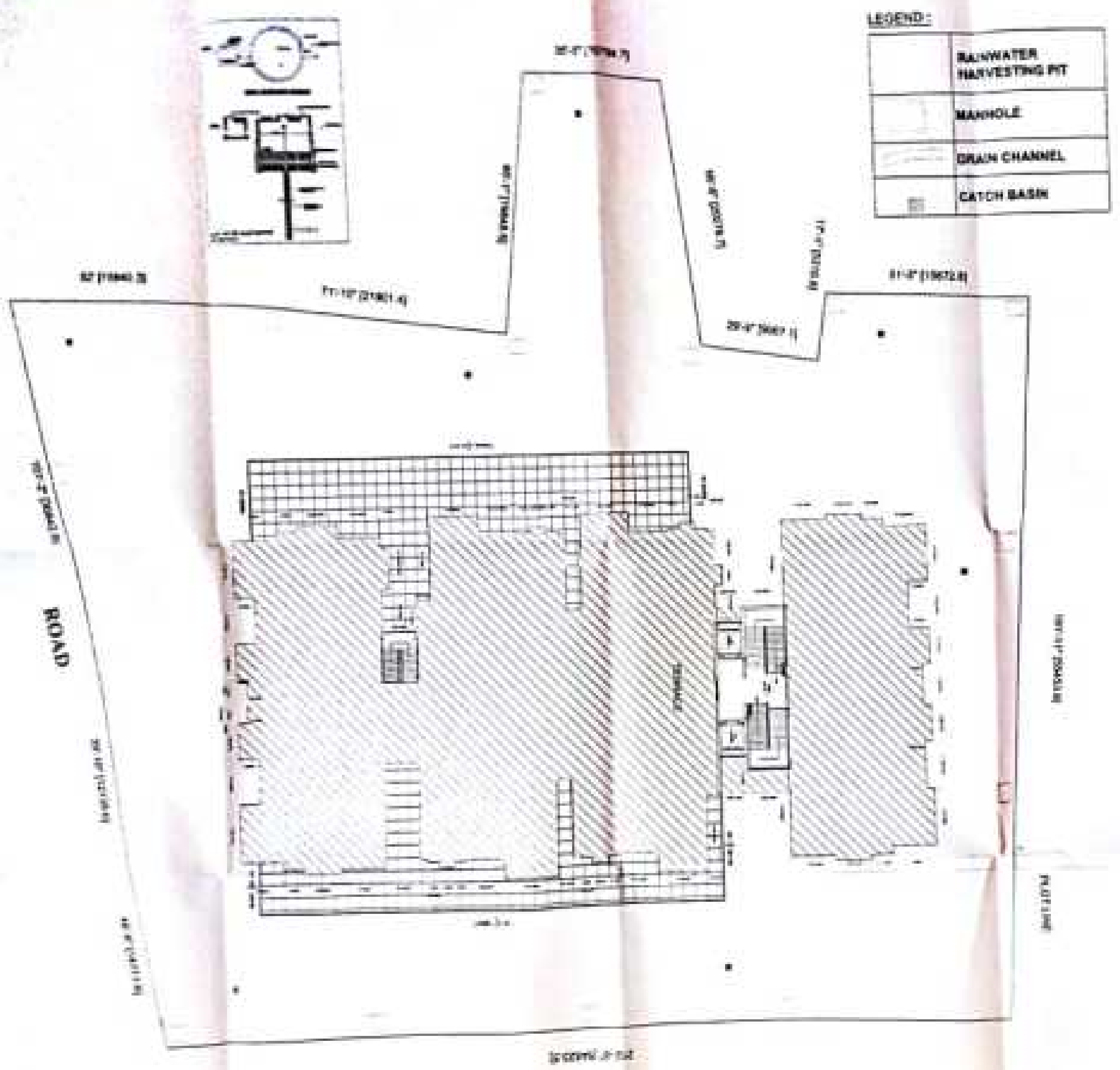

RAIN WATER HARVESTING PLAN

DOOR WINDOW SCEDULE :

SIG. OF OWNERS

SHEET NO. 17

Scanned by CamScanner

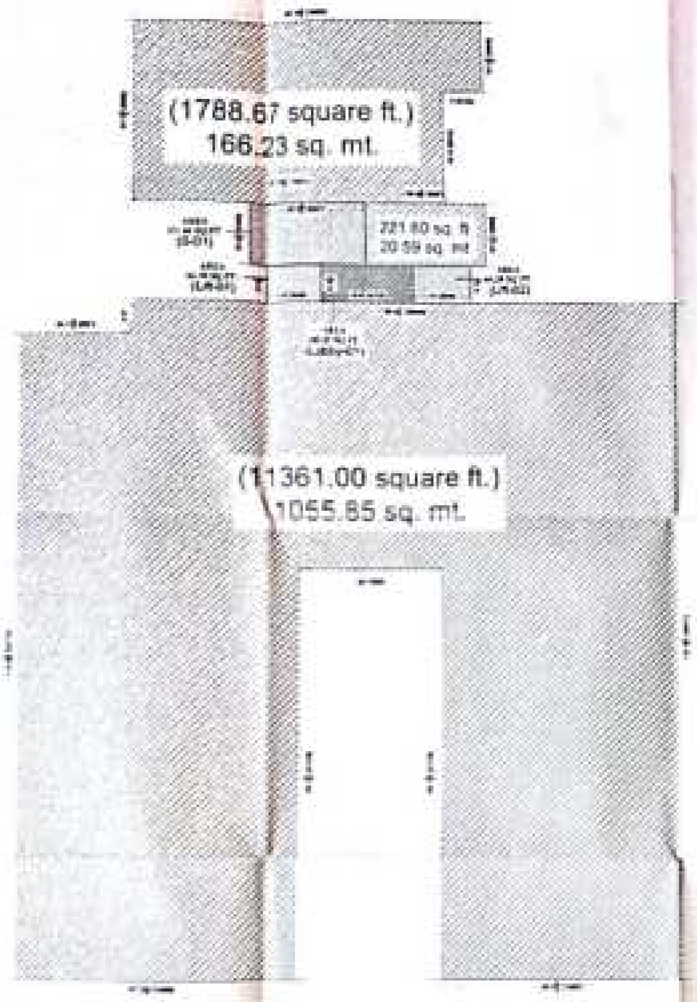

GROUND FLOOR AREA

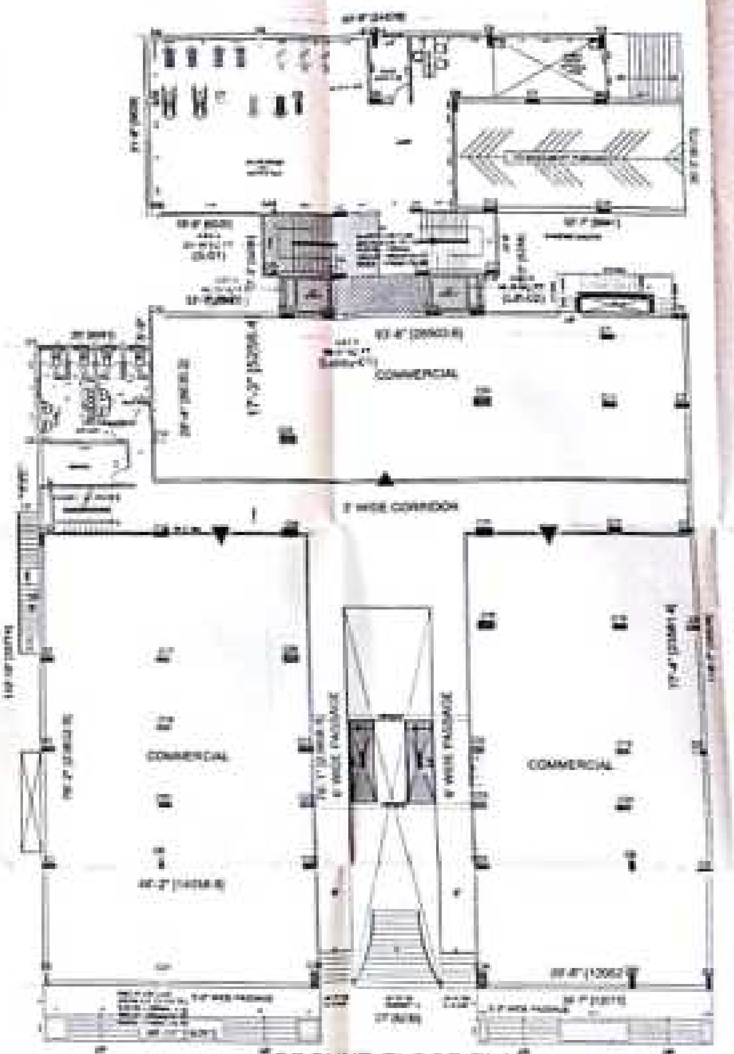

GROUND FLOOR PLAN

DOOR WINDOW SCEDULE :

DOOR	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

SIG. OF OWNERS

SHEET NO. 19

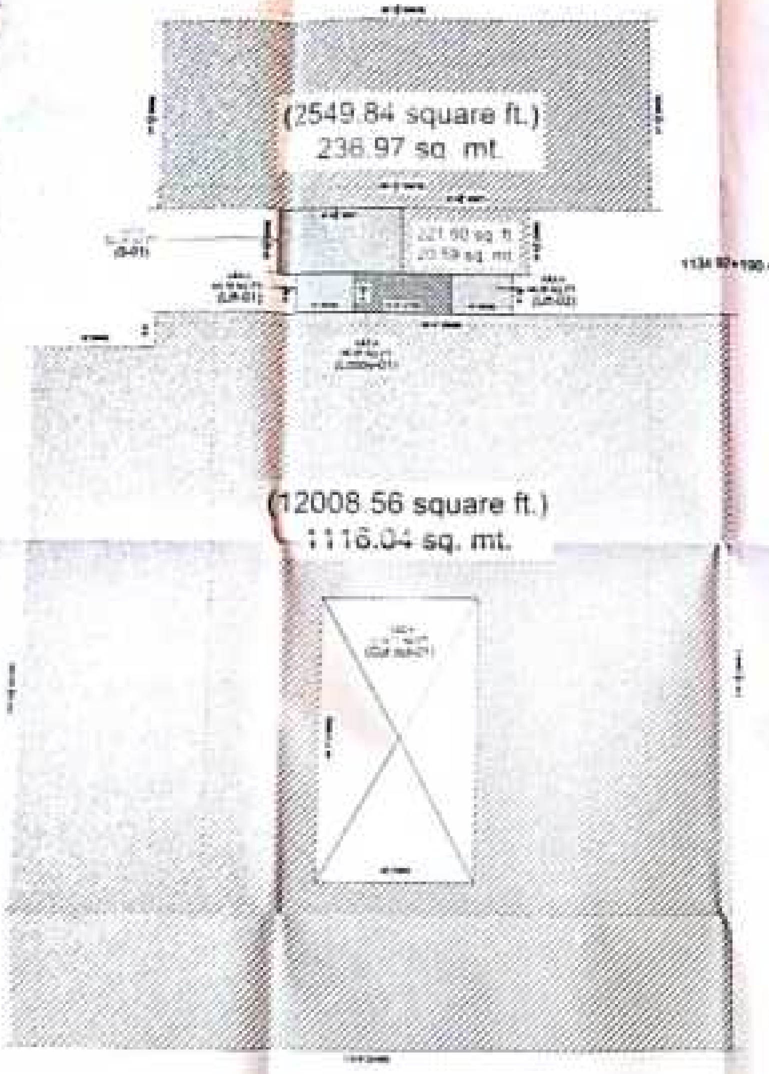

1ST FLOOR AREA

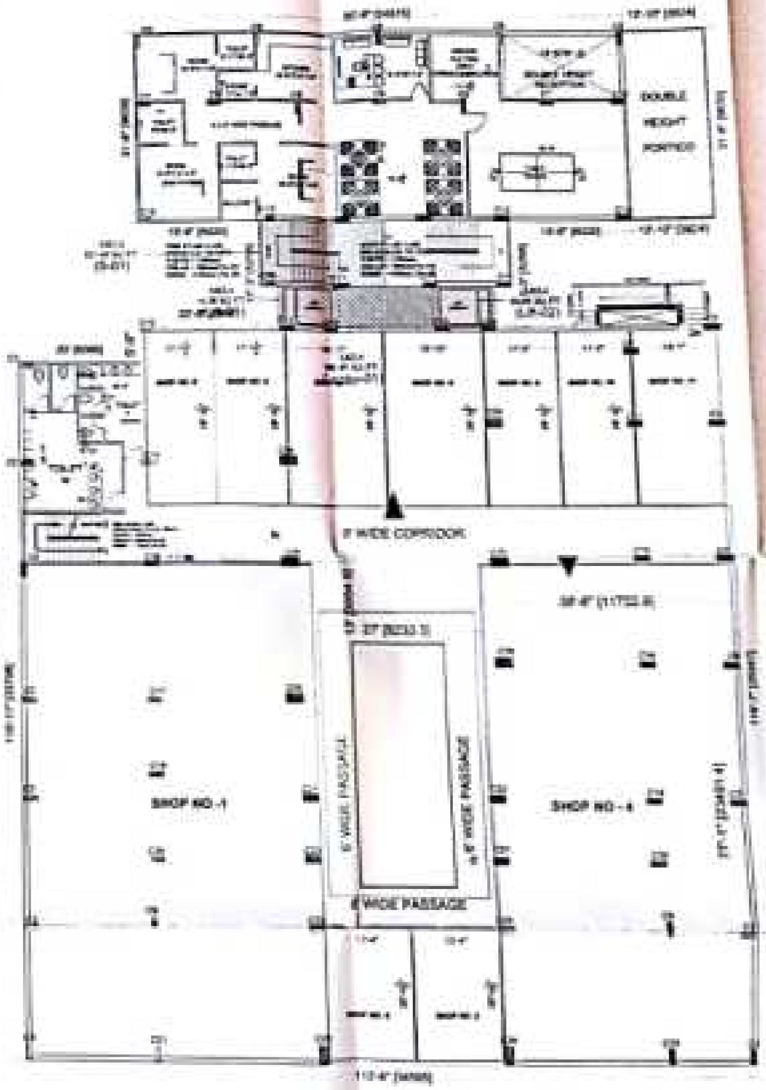

1ST FLOOR PLAN

DOOR WINDOW SCEDULE :

DOOR	SIZE	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
WINDOW [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
WINDOW [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

SIG: OF OWNERS

SHEET
NO.
20

ACME ARCHITECTURAL SERVICES

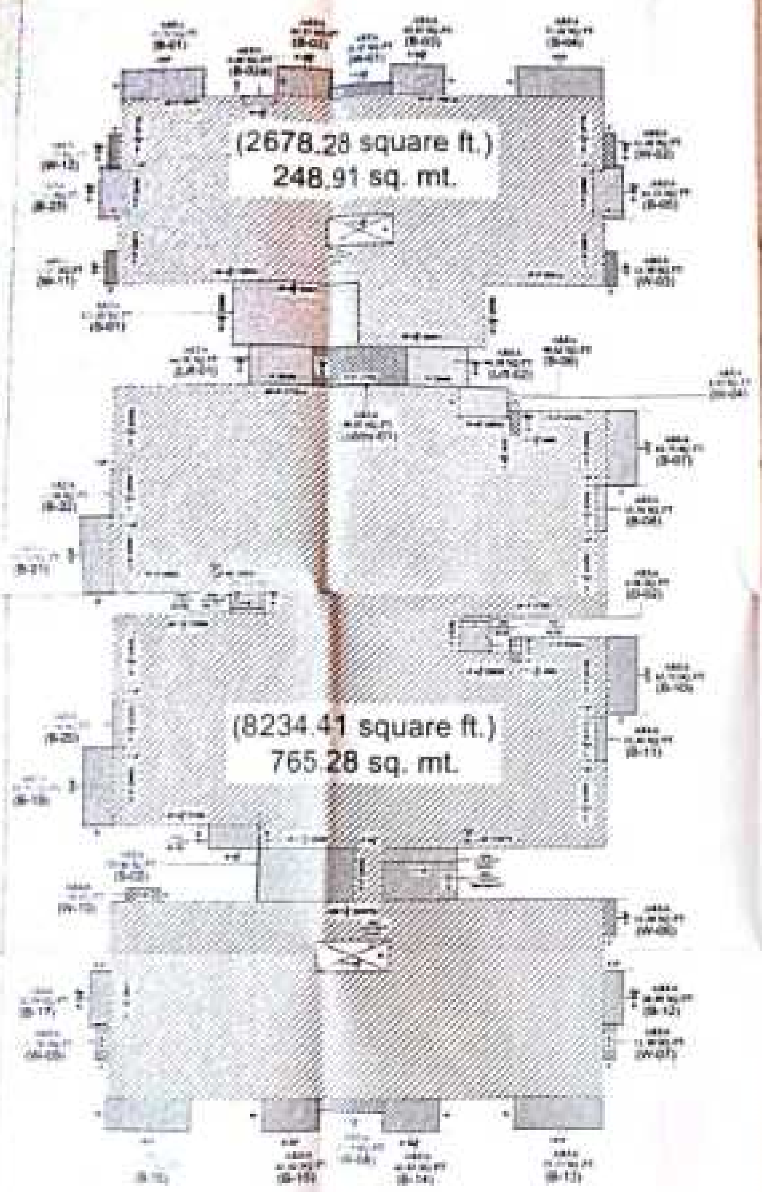

SECOND TO ELEVENTH FLOOR AREA (RESIDENTIAL)

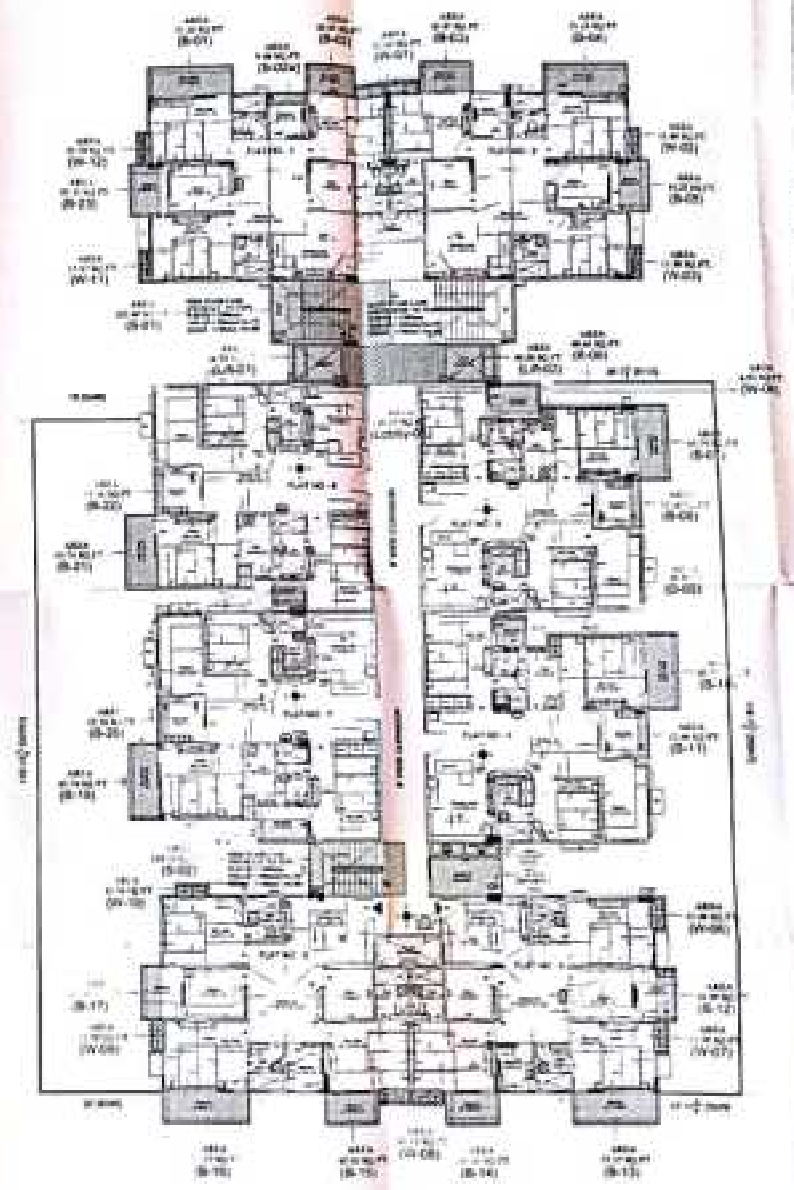

SECOND TO ELEVENTH FLOOR PLAN (RESIDENTIAL)

DOOR WINDOW SCEDULE :

DOOR	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
DOOR [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
DOOR [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
DOOR [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
WINDOW [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
WINDOW [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

SIG: OF OWNERS

SHEET
NO.
21

ACME ARCHITECTURAL SERVICES PVT. LTD

Scanned by CamScanner

कार्यालयः गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर ।

पत्रांकः 574/मान0अनु0/गो0वि0प्रा0/2013-14 दिनांकः 3/12/2013

डिमान्ड/शपथ-पत्र/शर्त

सेवा में,

निदेशक,

मे0 आर्किड ग्रीन इन्फ्रासिटी प्रा0 लि0,

द्वारा श्री सन्दीप गोयल, गोयल हाता,

धर्मशाला बाजार,

गोरखपुर।

महोदय,

कृपया आप द्वारा प्रस्तुत मानचित्र संख्या-1698/2013 जो मो0 मोहद्दीपुर के आराजी संख्या-396मि0, 397, 398 एवं 399/3 पर प्रस्तुत किया गया था, तकनीकी रूप से ठीक है। आप कृपया

1- विकास शुल्क /समुन्नत प्रभार	रू0 07,57,027.00
2- बाह्य विकास शुल्क	रू0 01,28,486.00
3- सेस शुल्क (लेबर) एक वर्ष हेतु	रू0 03,00,065.00
4- विनियमितिकरण क्षेत्र का उपविभाजन शुल्क एवं अवशेष भूमि का उपविभाजन शुल्क	रू0 23,03,439.00
5- पर्यवेक्षण शुल्क	रू0 00,60,938.00
उक्त के अतिरिक्त विनियमित किये गये भूखण्ड का शुल्क जिसमे	
6- विकास शुल्क	रू0 01,11,272.00
7- ई0डब्लू0एस0 व एल0आई0जी0 भवनों हेतु लेय शुल्क	रू0 02,84,035.00
कुल धनराशि	**रू0 39,45,262.00**

इस प्रकार **कुल रू0 39,45,262.00 मात्र** पत्र निर्गत होने की तिथि से 15 दिवस के अन्दर प्राधिकरण निधि में जमा कराना सुनिश्चित करें तथा संलग्न प्रारूप के अनुसार रू0 10.00 के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र (एफिडेविट) व रू0 100.00 के स्टैम्प पेपर पर क्षतिपूर्ति प्रमाण-पत्र (इन्डेमिनिटी बाण्ड) किसी नोटरी/शपथ कमिश्नर/मजिस्ट्रेट से सत्यापित करा कर प्राधिकरण कार्यालय में जमा करा दें। उक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित अभिलेख/शर्तो को प्रस्तुत/पूर्ण किया जाना है:-

शर्तें:-

1- भवन के स्ट्रक्चरल सेफटी का प्रमाण पत्र किसी ग्रेजुएट स्ट्रक्चरल इंजीनियर से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना होगा तथा उसे शासकीय इंजीनियरिंग कालेज से वैट कराना होगा।

2- अग्निशमन सुरक्षा से संबंधित अनापत्ति प्रमाण पत्र जो कि मुख्य अग्नि शमन अधिकारी स्तर से जारी हो, आप द्वारा प्रस्तुत किया जाना होगा।

3- आप द्वारा एयरफोर्स विभाग से अनापत्ति प्राप्त कर प्राधिकरण को प्रस्तुत करना होगा, जब तक अनापत्ति प्राप्त नही होती है तब तक 12.5 मी0 से अधिक की ऊँचाई के निर्माण की अनुमति देय नही होगी।

4- नगर निगम (आर0आई0) की अनापत्ति आवश्यक है।

5- निर्माण लागत एवं अवधि का शपथ पत्र दिया जाना होगा।

6- आप (निर्माणकर्ता) द्वारा स्थल पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान किया जाना अनिवार्य होगा।

7- भवन निर्माण संबंधी समस्त मटेरियल पक्ष द्वारा अपने परिसर में रखा जायेगा। इस आशय का भी शपथ पत्र देना होगा।

8- प्रस्तावित भवन की छत पर सोलर वाटर हीटिंग प्लान के अनुसार प्लान्ट लगाना होगा।

9- पार्क शुल्क के सम्बन्ध में इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि इस सम्बन्ध में शासन का जो भी निर्देश होगा, पक्ष को मान्य होगा।

10- व्यवसायिक उपयोग से प्रस्तावित समूह आवास के निवासियों को किसी प्रकार की अशांति/असुविधा नही होगी, यह निर्माणकर्ता की जिम्मेदारी है तथा इस आशय का शपथ पत्र भी निर्माणकर्ता को देना होगा।

11– प्राधिकरण द्वारा इस मद मे कोई अन्य शुल्क मांगे जाने पर प्राधिकरण मे जमा करने का शपथ पत्र देना होगा।

12– समस्त आन्तरिक विकास यथा बिजली, पानी, सीवर व गारबेज डिस्पोजल आदि की व्यवस्था स्वयं करनी होगी, इस आशय का शपथ पत्र आवश्यक है।

13– कुल पार्किंग का 10 प्रतिशत भाग विजिटर्स के लिए आरक्षित रखा जायेगा, इस आशय का शपथ–पत्र लिया जाना आवश्यक है।

14– प्राधिकरण से पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त कर ही भवन का उपयोग किया जायेगा, इस आशय का शपथ पत्र देना होगा।

15– ई0डब्लू0एस0 व एल0आई0जी0 भवन बनाये जाने हेतु शपथ पत्र देना होगा एवं इस हेतु नियमानुसार बैंक गारण्टी प्राधिकरण मे जमा करना होगा एवं आपकी जिम्मेदारी होगी कि समय–समय पर बैंक गारण्टी का नवीनीकरण कराते रहेंगे

यदि निर्धारित अवधि मे आपके द्वारा उपरोक्त शुल्क, शपथ–पत्र एवं क्षतिपूर्ति प्रमाण–पत्र आदि नही जमा किये गये तो यह मानकर कि आप मानचित्र स्वीकृत कराने मे, रुचि नहीं रखते है, मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

सहायक अभियन्ता,
गोरखपुर विकास प्राधिकरण,
गोरखपुर।

चालान संख्या 38089 खाता संख्या ८

गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर

मानचित्र संख्या 1698/2013 दिनांक 30.10.2013

नाम मे. [illegible] इन्फ्राबिल्ड प्रा. लि.

मोहल्ला मोहद्दीपुर

निर्माण आवासीय/व्य० बहुमंजिली (आवासीय/व्यवसायिक/शैक्षिक/धार्मिक/अन्य)

जमा शुल्क का विवरण

विवरण	धनराशि	
	रुपया	पै०
मानचित्र शुल्क		
विकास शुल्क	8,68,298/-	
वाह्य विकास शुल्क	1,28,486/-	
उप विभाजन शुल्क	23,83,439/-	
शमन शुल्क		
अम्बार शुल्क		
पर्यवेक्षण/निरीक्षण शुल्क	60,938/-	
सुदृढ़ीकरण शुल्क	3,00,065/-	
जल/मलवा शुल्क		
~~इम्पैक्ट शुल्क~~ EWS/LIG	2,04,035/-	
प्रार्थनापत्र शुल्क/सवाल-जवाब/भू-प्रयोग शुल्क		
ठीकेदार पंजीकरण/नवीनीकरण शुल्क/टेन्डर शुल्क		
ड्राफ्ट मैन/इंजीनियर पंजी० शुल्क		
पुस्तिका बिक्री शुल्क		
अन्य Total	39,45,262/-	

जमा राशि (शब्दों में) रु. उन्तालिस लाख पैंतालिस हजार दो सौ बासठ मात्र।

नकद/चेक/ड्राफ्ट संख्या 235701 चेक

बैंक का नाम विजया बैंक, बैंक रोड, गोरखपुर

जमा करने की तिथि 17.12.2013

जमाकर्ता के हस्ताक्षर

केवल बैंक के प्रयोगार्थ

उपर्युक्त धनराशि प्राप्त करके प्राधिकरण के खाते में जमा किया।

हस्ताक्षर बैंक अधिकारी

दिनांक